

राजस्थान सरकार  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
निदेशालय एनएचएम, स्वास्थ्य भवन, सी-स्कीम, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक एफ.20 (CHRIS) एनएचएम/एचआरडी/2018/2214

दिनांक: 01/11/2018  
अति आवश्यक

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं  
सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति,  
समस्त जिले राजस्थान।

**विषय:- CHRIS सॉफ्टवेयर में जिले के नियमित कर्मचारियों एवं एनएचएम में कार्यरत समस्त संविदा कार्मिकों की सूचना इन्द्राज करवाने बाबत।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत कार्यरत नियमित संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं एनएचएम के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में कार्यरत संविदा कार्मिकों की सूचना **CHRIS (Computerised Human Resource Information System) सॉफ्टवेयर** में इन्द्राज किये जाने के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया था।

राज्य स्तर पर समीक्षा किये जाने पर यह परिलक्षित हुआ है कि जिलों में **CHRIS सॉफ्टवेयर** में सूचना इन्द्राज किये जाने का कार्य पूरा नहीं किया गया है। समीक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि जिलों में एनएचएम के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में कार्यरत संविदा कार्मिकों के मासिक मानदेय का भुगतान **CHRIS/PFMS सॉफ्टवेयर** से नहीं किया जा रहा है जो कि दिये गये निर्देशों की अवहेलना को दर्शाता है। इस सम्बन्ध में निम्नानुसार वर्णित निर्देशों की पालना किये जाकर उक्त कार्य को पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करावे :-

1. एनएचएम के अन्तर्गत समस्त नवचयनित कार्मिकों की सूचना का इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करावे।
2. एनएचएम के अन्तर्गत कार्यरत समस्त कार्मिकों की सूचना का इन्द्राज एवं आवश्यक सुधार किया जाना सुनिश्चित करावे।
3. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत नियमित संवर्ग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सूचना का इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करावे।
4. एनएचएम के अन्तर्गत जिन कार्मिकों का राज्य स्तर से रिलोकेशन किया जावे, उनकी सूचना में तुरन्त प्रभाव से आवश्यक सुधार किया जाना सुनिश्चित करावे।
5. एनएचएम के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिकों द्वारा त्यागपत्र दिये जाने/सेवा समाप्ति किये जाने पर **CHRIS सॉफ्टवेयर** में तुरन्त प्रभाव से उनकी **Resign/Termination** सम्बन्धी सूचना का इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करावे।
6. जिले में एनएचएम के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में कार्यरत संविदा कार्मिकों के मासिक मानदेय का भुगतान तुरन्त प्रभाव से **CHRIS** एवं **PFMS** सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करावे।

इस सम्बन्ध में की गई प्रगति/वर्तमान स्थिति की अद्यतन सूचना आवश्यक रूप से दिनांक 02.11.2018 को जिला नोडल अधिकारी (एम एण्ड ई) एवं ब्लॉक डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की कार्यशाला में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

(प्रीति माथुर)  
परियोजना निदेशक  
एनएचएम

क्रमांक एफ.20 (CHRIS) एनएचएम/एचआरडी/2018/2214  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक: 01/11/2018

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकि० स्वा० विभाग एवं मिशन निदेशक, एनएचएम जयपुर।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
4. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, एनएचएम, जयपुर।
5. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
6. निदेशक (जनस्वास्थ्य/आरसीएच), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
7. निदेशक वित्त, एनएचएम, जयपुर।
8. अतिरिक्त निदेशक- ग्रामीण स्वास्थ्य, मुख्यालय, जयपुर।
9. औषधि नियन्त्रक, औषधि नियन्त्रण विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक (वित्त), एनएचएम, जयपुर।
11. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, एनएचएम, जयपुर।
12. परियोजना निदेशक-एमएच/सीएच/प०क०/इम्यू./आरबीएसके/पीसीपीएनडीटी एनएचएम।
13. स्टेट नोडल ऑफिसर, वर्टिकल प्रोग्राम, एनएचएम, जयपुर।
14. स्टेट नोडल ऑफिसर, राष्ट्रीय कार्यक्रम-एनवीबीडीसीपी/आईडीएसपी/आरएनटीसीपी/एनएलईपी/आईडीडीसीपी/एनपीसीएफ/एनपीसीडीसीएस/एनपीएचसीई/एनटीसीपी/एनपीपीसीडी/एनओएचपी/एनएमएचपी/एनपीसीबी, मुख्यालय, जयपुर।
15. सहायक निदेशक (आयुष), एनएचएम, जयपुर।
16. सहायक लेखाधिकारी (भुगतान) एनएचएम जयपुर।
17. अनुभाग अधिकारी-एचआर, एनएचएम, जयपुर को पालनार्थ।
18. राज्य वित्त प्रबन्धक/राज्य लेखा प्रबन्धक, एनएचएम, जयपुर।
19. समस्त राज्य नोडल अधिकारी/समस्त सलाहकार, एनएचएम/आरसीएच/एनयूएचएम।
20. मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, केन्द्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर।
21. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, समस्त जोन, राज०।
22. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले, राज०।
23. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय/सामान्य चिकित्सालय, समस्त जिले, राज०।
24. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले, राज०।
25. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (हैल्थ), समस्त जिले।
26. सार्वजनिक विश्लेषक, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर/अजमेर/उदयपुर/कोटा/अलवर।
27. प्रधानाचार्य, एनएनएमटीसी/जीएनएमटीसी, समस्त जिले, राज०।
28. जिला क्षय रोग अधिकारी, आरएनटीसीपी, समस्त जिले, राज०।
29. जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक, एनएचएम, समस्त जिले, राज०।
30. जिला नोडल अधिकारी, समस्त राष्ट्रीय रोग नियन्त्रण कार्यक्रम, समस्त जिले, राज०।
31. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, समस्त ब्लॉक, राजस्थान।
32. समस्त संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
33. प्रभारी -सर्वर रूम को उक्त आदेश को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने एवं ईमेल हेतु।
34. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक  
एनएचएम